भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ।

OATH OF ALLEGIANCE TO THE CONSTITUTION OF INDIA.

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली :—

सदस्य का नाम ।		चुनाव-क्षेत्र ।
श्री कामाख्या नारायण सिंह	..	गिरीडीह ।
श्री शेख ताहीर हुसेन ..	..	जाले ।
श्री प्रीतम कुजूर ..	..	लोहरदग्गा ।
श्री आदित्य प्रताप सिंह देव	..	सरायकेला ।

राज्यपाल से प्राप्त संदेश ।

MESSAGE RECEIVED FROM THE GOVERNOR.

अध्यक्ष—राज्यपाल के जिस संदेश के अनुसार सदस्यगण आज यहां एकत्रित हुए हैं, उसे मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूँ ।

"In pursuance of clause (1) of Article 176 of the Constitution of India I desire to address both the Houses of the Bihar Legislature assembled together at 11·30 A. M. on Monday, the 20th May, 1957 and for this purpose require the attendance of the members thereof in the Assembly Chamber at Patna."

राज्यपाल का अभिभाषण ।

ADDRESS BY THE GOVERNOR.

राज्यपाल—बिहार विधान-मंडल के सदस्यगण,

द्वितीय बिहार विधान-मंडल के सदस्य-रूप में आप देवियों तथा सज्जनों का स्वागत करते हुए आज हम अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं । एकबार फिर इस राज्य के निर्वाचक-मंडल ने, और भारत के अन्य राज्यों के निर्वाचक-मंडलों ने भी, संसदीय शासन में अपना विश्वास प्रदर्शित किया है जिसे हमने अपने देश के लिये अपनाया है । इन निर्वाचनों का साधारणतः शान्तिपूर्ण तथा सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होना अत्यन्त संतोष का विषय है और इससे इस बात का भी संकेत मिलता है कि यहां जनतान्त्रिक संसदीय शासन की प्रतिष्ठा मजबूत नींव पर हुई है । हमारी स्वतन्त्रता के १० वर्ष अब पूरे होने को आए । अगले कुछ वर्ष बड़े संकटमय गुजरनेवाले हैं । महत्वाकांक्षा-युक्त द्वितीय पंच-वर्षीय-आयोजन की कार्यान्विति के चलते विशेष समस्यायें और कठिनाइयां हमारे सामने आनेवाली हैं । इस राज्य रूपी जलपोत को भविष्य की ओर अग्रसर करने में इस महिमामय सदन के विचार-विमर्श का विशेष महत्व और प्रभाव है । हम आशा करते हैं, और इसके लिये प्रार्थी हैं कि आपकी पदावधि में बिहार पहले की अपेक्षा और भी तेजी से सभी दिशाओं में प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा ।

इसके पूर्व कि हम आपके समक्ष विधान-सम्बन्धी कार्यावलि का उल्लेख करें, हम आपका ध्यान उन कठिन समस्याओं की ओर आकृष्ट करेंगे जो, बिहार में व्यापक रूप से खड़ी

की फसल मारी जाने के परिणामस्वरूप, राज्य के सामने उपस्थित हैं। सूखा या बाढ़ जैसे एक न एक कारण से फसलें मारी जाने के फलस्वरूप राज्य को जिन आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा है, उनका बार-बार उल्लेख हमें पहले भी करना पड़ा है। उक्त अनेक अवसरों पर हमने राज्य की डवांडोल अर्थ-व्यवस्था, खेती के निर्वाह-स्तर, कृषकों के शक्ति और साधनों से रहित होने, जनसंख्या के प्रचंड भार, औद्योगिक विकास के निम्न स्तर तथा इन सब के परिणामस्वरूप खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांगों की पूर्त्ति संबंधी कठिनाइयों की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया है। यद्यपि राज्य-सरकार ने कृषि-अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, सिंचाई के साधनों को विकसित करने तथा क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए पिछले कई वर्षों में विविध और विस्तृत उपाय किये हैं तथापि कृषकों की मूल आशा अभी तक प्रकृति की कृपा पर ही अवलम्बित है। एक पर एक बुरे वर्षों को झेलने के बाद इस साल हमें अच्छी फसलों की उम्मीद थी, और यह उम्मीद अकारण नहीं थी, क्योंकि हमारे यहां पिछली अगहनी फसल अच्छी हुई थी। किन्तु यह आशा अधिक दिनों तक टिक न सकी। असामयिक शीतकालीन वर्षा, ओले-पत्थर और फिर कीड़े लग जाने से रब्बी फसलों की, खासकर गेहूं की, व्यापक रूप से अ भारी बरबादी हुई। पहले जहां गेहूं, बूंट और जौ जैसी प्रधान रब्बी फसलों का वार्षिक औसत उत्पादन ८½ लाख टन होता था, वहां इस साल उनके उत्पादन का अनुमान ३½ लाख टन लगाया जा रहा है। इस प्रकार लगभग ५ लाख टन का घाटा है जो हमारे कुल उत्पादन का करीब-करीब ६० प्रतिशत है। खासकर गेहूं की तो बहुत बड़ी बरबादी हुई है। कुछ अन्य रब्बी फसलें भी मारी गई हैं। लगभग मार्च के अन्त तक खड़ी फसलों की हालत सन्तोषजनक प्रतीत होती थी और मूल अनुमान के अनुसार, फसल के औसत उत्पादन की आशा की जाती थी। किन्तु बाद में देखा गया कि फसल में दाने तो लग ही नहीं रहे हैं और जो लगे भी हैं वे सूख-सिकुड़ गए हैं। ज्यों-ज्यों कटनी होती गयी, क्षति का अनुमान भी स्पष्ट होता गया। कई क्षेत्रों में तो गेहूं-फसल की बरबादी ८० प्रतिशत से भी अधिक हुई है। अतएव, इस राज्य को लगातार जिन कृषि संकटों का सामना करना पड़ा है, उनसे इस राज्य की कृषि-अर्थ व्यवस्था तो पहले से ही डंवाडोल है, अब उस पर रब्बी की मौजूदा बरबादी का भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा ही।

फिर भी, आतंकित, निराश या हताश होने की बात कोई नहीं है। यह कष्ट जिन क्षेत्रों में व्याप्त है, वे विस्तृत होते हुए भी सीमित संख्या में ही हैं, अर्थात् वे क्षेत्र, जहां मुख्यतः रब्बी की पैदावार होती है या जहां पिछली खरीफ और बाद में रब्बी की फसलें भी मारी गई हैं। किन्तु कुछ अन्य बातें भी ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, पूर्ववर्त्ती वर्षों की तुलना में पिछली खरीफ फसल असंतोषप्रद नहीं हुई थी, खासकर उन क्षेत्रों में, जो बाद में पश्चिम बंगाल को हस्तान्तरित कर दिये गए। खाद्यान्नों के मामले में हमें भारत सरकार से ठोस सहायता मिलने का वचन मिला है। संघ-मंत्रालय, १५ हजार टन संकटकालीन जमा के रूप में रखने के अलावा, अगले तीन महीनों के लिए ६० हजार टन गेहूं देने को सहमत भी हो चुका है। सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या दूनी से भी अधिक, लगभग ५,५०० तक बढ़ायी जा रही है। और भी कितना खाद्यान्न अपेक्षित है, इसका निर्धारण, आगे जैसी स्थिति रहेगी, उसके अनुसार किया जायगा। २५ हजार टन खाद्यान्नों को बिहार में पहुँचाने का आदेश दिया जा चुका है। संकटकालीन कृषि-उपायों के लिए, अर्थात्, पीड़ित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन फसलें, खासकर भुट्टा उपजाने के निमित्त भी भारत सरकार ने वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। पंपिंग सेटों, लिफ्ट पंपों और खुले बोरिंगों के वितरण संबंधी कार्यक्रम में भी हाथ लग चुका है। राज्य सरकार ने यह

आदेश भी निकाला है कि ग्रीष्मकालीन खाद्यान्न-फसलों को उपजाने के लिये प्रति एकड़ दो हरी सिंचाई के निमित्त, वर्त्तमान दर २० रु० प्रति एकड़ के बदले ५ ० प्रति एकड़ की खास रियायती और आकर्षक दरों पर राज्य-नलकूपों से पानी दिया जाय।०

कृषि-ऋणों के वितरण तथा बेकारी दूर करने के निमित्त कठिन-शारीरिक-श्रम-योजनायें चलाने के लिए जिला-पदाधिकारियों के हाथ में निधियां रखी गई हैं। फिर भी, चूंकि हमारे वित्तीय साधनों पर बहुत भार है, इसलिये, साहाय्य-उपायों की कार्यान्विति में हम बहुत-कुछ भारत सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर हैं। हम इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध भी कर चुके हैं। अभावग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी बकायों की वसूली भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जायगी। बिहार के बाहर से २½ लाख मन गेहूँ और चना मंगाने के लिए भी हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है। इनमें से ३५,००० मन तो हमें मिल भी चुका है। और भी उपाय, जो समय-समय पर आवश्यक जान पड़ेंगे, सरकार करती रहेगी।

हमारी सरकार ने वरीयतम प्रशासी पदाधिकारियों के प्रभार में "इमर्जेन्सी रिलीफ़ ऑर्गेनिजेशन (संकट-साहाय्य-समिति)" नाम की एक खास संस्था भी कायम की है जो प्राग्रता के आधार पर तथा समन्वित रीति से विषम स्थिति का सामना करेगी।

स्थानीय क्षेत्रों की स्थिति के विषय में झूठे और अतिशयोक्तिपूर्ण संवादों से कोई उपकार तो होता नहीं, उल्टे, उनसे समाज-विरोधी तत्वों को अनावश्यक प्रोत्साहन और बल मिल जाता है। साहाय्य-कार्य के बारे में राज्य सरकार के शासनतंत्र की पहले भी कई अवसरों पर परीक्षा हो चुकी है, और हर अवसर पर पाया गया है कि इसके सामने जो भी काम आया, इसने उसे अच्छी तरह पूरा किया। सदन के सदस्यों को स्मरण होगा कि स्वयं प्रधान मंत्री ने समय-समय पर इस शासन-तंत्र की बड़ाई की है। ऐसी परिस्थिति में, स्थिति का सामना करने में राज्य सरकार की योग्यता का, किए गए और किए जाने वाले उपायों तथा साधनों का, और यहां की जनता की चिर-परिचित सहनशीलता का भरोसा रखते हुए हम निःसंदेह कह सकते हैं कि वर्त्तमान संकट का सामना करने में हम समर्थ होंगे और इस दुर्दिन को भी उसी तरह झेल लेंगे जैसे पहले झेल चुके हैं। फिर भी, इसलिए कि जनता को ढाढ़स बंधे तथा कार्य-पालक शासन-तंत्र यथासंभव सुचारु रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य सम्पन्न कर सके, आप लोगों की सहायता और समर्थन आवश्यक है।

अभी-अभी जो वर्ष गुजरा है, उससे राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय फेर-बदल निर्विघ्न और शान्तिपूर्ण सम्पन्न हुए हैं। इस प्रकार भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय पूरा हुआ है। अधिनियम के अधीन गठित पूर्वीय क्षेत्र-परिषद् (ईस्टर्न जोनल कौंसिल) की पहली बैठक भी हाल में ही हुई थी। हमें आशा है कि भारतीय जनता के कल्याण तथा उन्नति के निमित्त, यह परिषद् राज्यों के बीच सहयोग और सह-प्रयास का एक नया अध्याय शुरू करेगी।

हम इस बात की विस्तृत समीक्षा न करेंगे कि पंचवर्षीय आयोजन में या गुजरे साल में हमें कहां तक सफलता मिली। इसका विवेचन हमारे वित्त-मंत्री अपने बजट-भाषण में करेंगे; तो भी, मैं कुछेक बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में राज्य ने जो सफलता पाई, वह परम आशावादी अनुमानों से भी आगे बढ़ गई। आयोजन में मूल उपबन्ध ५७.३ करोड़ रुपये का और संशोधित उपबन्ध ६७.८ करोड़ रुपये का था, जबकि वास्तविक खर्च ७३.३ करोड़ रुपया हो गया।

इसके अलावा, राज्य-क्षेत्र के बाहर की भी कई विकास-योजनाएँ थीं, जो केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत होते हुए भी कार्यान्वित की गई राज्य-शासन-तन्त्र द्वारा ही। यदि इन योजनाओं का भी लेखा किया जाय तो कुल लागत-खर्च १२५ करोड़ रुपयों से भी अधिक हुआ। हमलोगों ने न केवल वित्तीय लक्ष्यांकों की अपितु वस्तुगत लक्ष्यांकों की भी प्राप्ति की। कुछेक उदाहरण लीजिए। सबसे बड़ा आयोजन, जो कार्यान्वित किया गया, १०.७५ करोड़ रुपये का सड़क-आयोजन था। लक्ष्यांक था २,२५७ मील सुधरी सड़क का, हमने २,२६८ मील सड़क सुधार किया। प्रथम आयोजन से पहले ४७ मेगावाट बिजली पैदा होती थी; आयोजन-अवधि के अन्त तक २०८ मेगावाट बिजली पैदा होने लगी और ३५९ नगर और गांव बिजलीयुक्त हो गए। शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय, सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में प्रचुर प्रगति हुई; खासकर विज्ञान की पढ़ाई तथा महिला-शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया। लोक-स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का बहुत विस्तार हुआ। हैजे से मृत्यु की संख्या हर दस लाख में १,३०० से घट कर १३ पर चली आई है, और चेचक से मृत्यु की संख्या हर दस लाख में ३०० से घटकर १६ पर आ गई है। २५,००० की आबादी वाले हर शहर में नल-जल (कल के पानी) का व्यवस्था हो चुकी है और उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर उत्तम पेयजल की आपूर्त्ति के लिये १३,००० से अधिक नल-कूप गाड़े गये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक, गत पांच वर्षों में, ८१,५०० एकड़ से भी अधिक भूमि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के ५०,००० से अधिक परिवारों के हाथ बन्दोबस्त की गई। राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा तथा सामुदायिक-विकास-कार्यक्रम के माध्यम से समन्वयबद्ध ग्राम-विकास की योजना में जो काम हुआ है, वह भी विशेष उल्लेखनीय है। प्रथम आयोजन की अवधि में बिहार में २५ सामुदायिक-विकास-प्रखंड और ७७ राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-प्रखंड चालू थे। इन योजनाओं में जनता ने आशातीत दिलचस्पी दिखाई। कृषि-उत्पादन, सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण के विषय में भी प्रचुर प्रगति हुई है। २३ लाख एकड़ भूमि को लघु, मध्यम और वृहत् सिंचाई-योजनाओं के जरिए सिंचाई-योग्य बनाया गया। दो-चार मदें देखिए—२९,५०० छोटे आहर, पईन और बांध तथा १६,४०० सिंचाई-कुएँ बनाए गए। ३५० मील रक्षा-तटबन्ध बनाए गए जिनसे ५॥ लाख एकड़ से भी अधिक क्षेत्र का हित हुआ।

रासायनिक खाद की बिक्री वर्ष में ५,००० टन से बढ़ाकर ३९,००० टन से भी अधिक की गई। विविध उपायों से ७.२२ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान किया गया। इस प्रकार, प्रथम-आयोजन की सिद्धियों पर दृष्टिपात करने से किसी को भी संतोष हो सकता है।

आयोजन आयोग ने २०४ करोड़ रुपये की राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया। बाद में इसमें ५ प्रतिशत की दक्षता-कटौती की गई, जिससे यह घटकर १९४.२ करोड़ रुपये की हो गयी। पुनः पश्चिम बंगाल में क्षेत्र-हस्तान्तरण करने पर, राज्य-योजना में समायोजन भी करना पड़ा और आयोजन-आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया कि ४ करोड़ रुपये की राशि बिहार योजना से पश्चिम बंगाल-योजना में अन्तरित कर दी जाय। अतएव, बिहार की संशोधित द्वितीय पंचवर्षीय योजना अब १९०.२ करोड़ की है। यद्यपि योजना का प्रथम वर्ष अधिकांशतः योजनाओं को अंतिम रूप देने, कर्मचारी-वर्ग की मंजूरी और भर्त्ती, तथा सामग्री एवं साज-सज्जा के संग्रह में ही लग गया, तथापि योजनाओं की वास्तविक कार्यान्विति में भी

पर्याप्त प्रगति हुई है । उदाहरणार्थ—सामुदायिक और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-प्रखंडों का अंतिम लक्ष्यांक जहां ५७४ था, वहां अभी २१२ प्रखंड हैं, जिनके अन्तर्गत २८ सामुदायिक-विकास-प्रखंड चालू हैं, और जिनके भीतर १ करोड़ ४० लाख की आबादी और २५,००० वर्गमील क्षेत्र आ जाते हैं । राज्य का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इस योजना के अधीन लाया गया है ।

इस वर्ष, लोक-निर्माण-विभागीय कार्यक्रम में ८४५ मील नयी सड़कों का निर्माण और जोड़ दिया गया । जून, १९५७ तक और भी ३५८ मील रक्षात्मक तटबन्ध बनकर पूरा हो जायगा, जिससे कुल लगभग १२.५ लाख एकड़ क्षेत्रफल की बाढ़ से रक्षा होगी । कोशी-परियोजना के मामले में, कुल १७० मील लम्बे तटबन्ध का दो-तिहाई हिस्सा पूरा हो चुका है । कुल काम का एक-तिहाई, पिछले मौसम में, भारत-सेवक समाज द्वारा संघटित लोक-सहयोग द्वारा पूरा किया गया । पिछले मौसम की व्यस्ततम अवधि में श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति ६५,००० तक पहुँच गई थी । संघीय गृह-मंत्रालय द्वारा प्रवर्त्तित योजना के आधार पर कतिपय जन-जातीय क्षेत्रों के गहन समन्वित विकास के लिये आठ विशेष जन-जाति-कल्याण-परियोजनाएं चालू की गई थीं । इस राज्य में प्रावैधिक शिक्षा-सुविधाओं के विस्तार के बारे में, जिसमें वर्त्तमान प्रौद्योगिक-संस्थाओं का प्रचुर विस्तार, एक और संस्था खोलना तथा विद्यमान विद्यालयों का विस्तार भी सम्मिलित है, १९५७–५८ की अवधि में कार्यान्विति के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय किये गये । आई० एस-सी० स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई के लिये और पटना तथा बिहार विश्वविद्यालयों के अधीन महाविद्यालयों में उच्चतर स्तरों पर और भी अधिक जगहों की व्यवस्था की गई । रांची में चिकित्सा-महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) की स्थापना का प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया । राज्य के खनिज-विकास के लिये एक नवीन भू-गर्भ सर्वेक्षण-निदेशालय की स्थापना की जा रही है ।

कृषि-उत्पादन के प्राथमिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस राज्य ने द्वितीय आयोजन की अवधि में और भी लगभग २६ प्रतिशत कृषि-उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्यांक स्वीकार कर लिया है, अर्थात्, कुल लगभग १९.६५ लाख टन की वृद्धि होगी, जिसमें से १५ लाख टन खाद्यान्न की वृद्धि है । इस दिशा में आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं । जैसा कि आपलोगों को मालूम है, बिहार खनिज-साधनों से और औद्योगिक विकास के लिये प्रचुर समृद्ध है । किन्तु, हमलोगों के पास इतने साधन रहते हुए भी हमारा राज्य भारत में न्यूनतम उद्योगवान् है, जिसकी ९३ प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है । यद्यपि सरकारी क्षेत्र में प्रथम तीन लौह-संयंत्र राज्य के बाहर अवस्थित किये गये, तथापि भारत सरकार ने चौथा संयंत्र बोकारो में अवस्थित करने का निर्णय किया है । और इसके लिये प्रारंभिक कार्य हाथ में लिया भी जा चुका है । आशा है कि भारत सरकार इस राज्य में भी शीघ्र ही अन्य वृहत् औद्योगिक परियोजनाएँ चालू करेगी, जिनसे न केवल हमारे साधनों का भरपूर उपयोग और विकास होगा बल्कि हमारी अर्थ-व्यवस्था भी दृढ़तर आधार पर प्रतिष्ठित होगी ।

हम अब आपलोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जानेवाले विधानमंडलीय कार्यक्रम का संक्षेप में उल्लेख करेंगे ।

इस सत्र में आपका अधिकांश समय वित्तीय-कार्यावली में व्यतीत होगा । आपलोगों को १९५७–५८ के वार्षिक वित्तीय-विवरण और अनुसारी विनियोग-बिल पर विचार करना होगा । आपके सम्मुख १९५३–५४ का वित्तीय-लेखा भी रखा जायगा । आपलोग हमसे वित्तीय-कार्यावली के ब्यौरेवार विश्लेषण के पूर्वाभास की प्रत्याशा न करें, क्योंकि वह वित्त-मंत्री द्वारा शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायगा ।

बिहार रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्टेल्स बिल, १९५६, विधान-परिषद् में पेश है। संभव है कि इस सत्र में वह विधान-सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। बिहार म्युनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल भी, उसके वर्त्तमान विधि-उपबन्धों के संशोधनार्थ, पेश किये जाने की संभावना है।

बिहार एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, १८९७, का संशोधन बिल भी पेश किया जायगा।

वर्त्तमान बिहार ऐन्ड उड़ीसा कौआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९३५, को संशोधित करने और बदलने के लिए भी एक विशद विधान पेश किया जायगा। विचार है कि वर्त्तमान अधिनियम को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिशों पर आधारित बदली हुई अपेक्षाओं के अनुसार, अद्यतन कर दिया जाय।

बिहार इमर्जेंसी कल्टिवेशन ऐंड इरिगेशन (अमेंडमेंट) बिल भी वर्त्तमान विधि की कतिपय त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से पेश किया जायगा। बिहार पंचायत राज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, १९५७, को बदलने के लिये बिहार पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, १९५७, भी पेश किया जायगा। यह भी प्रस्ताव है कि बिहार पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ का संशोधन-बिल पेश किया जाय, ताकि पुराने अधिनियम के कार्य-चालन के अनुभव पर आधारित कतिपय व्यापक संशोधन किये जा सकें।

यदि समय मिला तो कुछ अन्य विधायी उपाय भी पेश किये जा सकेंगे।

भाषण समाप्त करने के पूर्व, हम आपलोगों का ध्यान उन बड़ी और बहुविधि समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के कार्यान्वयन के मार्ग में हमलोगों के सामने आ खड़ी हुई हैं। फसल की तबाही तो है ही, मुद्रास्फीति के लक्षण भी प्रकट हो रहे हैं। इन्हें नियन्त्रित करना और रोकना है। आयोजन के लिए हमें साधन जुटाने ही होंगे। आगामी वर्षों में हमें खून-पसीना एक करना होगा और हो सकता है कि तब हमलोगों को घोर कष्ट-सहन और त्याग भी करना पड़े। लेकिन यह तो करना पड़ेगा ही, अगर हम चाहते हैं कि आनेवाली पीढ़ियों की भलाई के लिए उद्योगीकृत आधुनिक अर्थ-व्यवस्था का शिलान्यास शीघ्र सम्पन्न हो। आप, विधान-मंडल के सदस्यों पर विशेष उत्तरदायित्व है और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप सभी बिहार की जनता के प्रति हार्दिक कर्त्तव्य भावना और संविधान में निहित जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के प्रति अटूट विश्वास के साथ इस महान् दायित्व का पालन करेंगे।

मेरे लिये इसका उल्लेख करना विषयान्तर न होगा कि मैं शीघ्र ही अपने उदाहरणीय उत्तराधिकारी के हाथ कार्यभार सौंप बिहार से विदा लूंगा। राज्य के प्रधान के रूप में अपने कर्त्तव्य के पालन में मुझे जो अनवरत सहयोग प्राप्त हुआ है, इस अवसर पर इसके लिए मैं विधान-मंडल के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पांच वर्ष की यह अवधि, जिसे मैंने, आपलोगों के बीच पूर्ण सदुपयोग के साथ व्यतीत किया है, मेरे स्मृति-पट पर सदैव अंकित रहेगी तथा निरन्तर मेरी यह कामना और प्रार्थना रहेगी कि आपलोगों के प्रयत्न से यह राज्य उत्तरोत्तर अभिवृद्धि और अभ्युदय की ओर अग्रसर होता रहे।

"जय हिन्द"

अध्यक्ष—मुझे एक सूचना देनी है और वह यह है कि श्री रामजन्म महतो ने राज्य-

---

पाल के अभिभाषण पर निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करने की इच्छा प्रकट की है कि इस सभा के सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं".....

Shri RAM CHARITRA SINHA : Sir, are you taking up the motion of thanks today. The general practice of the House is after the Governor's address the House adjourns and on the next day this question is taken up. So the motion of thanks should not be annouced today.

अध्यक्ष—हमने एनाउन्समेंट (घोषणा) अभी इसलिए किया कि आज के चार बजे अपराह्न तक इस पर अमेंडमेंट (संशोधन) लिया जायेगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, जब परसों से राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय रखा गया है तब हमारी प्रार्थना है कि संशोधन देने की अवधि कल (२१ मई) के १० बजे तक रखा जाय।

अध्यक्ष—मुझे यह संशोधन स्वीकार है। २१ मई के अपराह्न तक संशोधनों की साइक्लोस्टाइल प्रति सदस्यों के बीच बांट दी जायगी।

विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में घोषणा।

ANNOUNCEMENT REGARDING THE LEADER OF THE OPPOSITION.

अध्यक्ष—अब मुझे विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में सभा के सामने कुछ निवेदन करना है। सर्वप्रथम जेनरल सेक्रेटरी, झारखंड पार्टी की ओर से मुझे निम्नलिखित सूचना दी गयी २४ अप्रैल, १९५७ को और वह यह है—

"Shri S. K. Bage, M. L. A. has unanimously been elected on 22nd April, 1957 at Palamau Jharkhand Party Conference at Daltonganj. As Jharkhand Party is the Largest single opposition group it has legitimate claim to lead the opposition in the Bihar Legislative Assembly."

उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के इन्डीविजुअल मेम्बर्स ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बतलाया कि २० अप्रैल, १९५७ को उनके पार्टी लीडर चुन लिए गए। ३ मई को बागे साहब की ओर से फिर मेरे पास एक चिट्ठी आई जिसका आशय, यह है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, वे लीडर ऑफ दी औपोजीशन (विरोधी दल के नेता) हैं। फिर महामाया बाबू की ओर से ४ मई की लिखी हुई चिट्ठी मिली ७ मई को, जिसका आशय यह है कि दो स्वतन्त्र सदस्य जिनके नाम हैं श्री रूपलाल राय और श्री ब्रजनन्दन शर्मा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में मिल गए। उस चिट्ठी में यह भी बतलाया गया कि उनके आफिस बेयरर्स कौन-कौन हुए। आखिर में यह कहा गया कि—

"The total strength of the P. S. P. Legislature Party is thirty-three and hence the P. S. P. Legislature Party should be treated as the main Opposition party in the Legislative Assembly, Bihar."

फिर महामाया बाबू की ओर से एक चिट्ठी आई कि उन्हें लीडर ऑफ़ दी औपोजीशन (विरोधी दल के नेता) मान लिया जाय। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में दो जो